S/D

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2016/चैत्र 22, 1938
No. 262] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2016/ CHAITRA 22, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 415(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 99क और धारा 457 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नाविक बॉयोमेट्रिक पहचान दस्तावेज जारी करने की प्रणाली को विनियमित करने के लिए नाविक पहचान दस्तावेज अभिसमय (पुनरीक्षित),2003 (सं.-185) के अनुसार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत (नाविक बॉयोमेट्रिक पहचान दस्तावेज) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना —ये नियम ऐसे भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे, जो नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

3. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) से है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से वाणिज्य पोत परिवहन महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ग) "अभिसमय" से वाणिज्य नाविक पहचान दस्तावेज अभिसमय (पुनरीक्षित), 2003 के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दस्तावेज सं.185 से है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "निर्गमन" प्राधिकारी अभिप्राय हैं; से है; पोत परिवहन मास्टर या ऐसे अन्य अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं, से है;

(च) "एसआईडी" से इन नियमों के अधीन जारी नाविकों के पहचान दस्तावेज अभिप्रेत हैं ;

(2) उन शब्द और पद के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं पर परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

4. **एसआईडी के लिए आवेदन और प्रचालन**—(1) भारत का कोई नागरिक जो एसआईडी जारी करने के लिए नियम 5 में विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता है, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-1 में जारी करने वाले प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) एसआईडी को जारी करने के लिए आवेदन, जारी करने वाले प्राधिकारी को उसकी पसंद पर ऑनलाईन दिए गए एसआईडी ई-मॉडयूल में किया जाएगा और आवेदक अपनी पसंद की उपलब्ध तारीख और डाटा संग्रहण केन्द्र का चुनाव करेगा।

(3) आवेदन की फीस ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से आनॅलाइन दी जाएगी और आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(4) अपने सेवान्मुक्ति के चालू प्रमाण-पत्र (सीसीडी) और मूल पासपोर्ट सहित डाटा संग्रहण केन्द्र पर नियत तारीख और समय पर उपस्थित होगा।

(5) जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय का सत्यापन अधिकारी आवेदन की नियत तारीख से पहले ही जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध सीडीसी अभिलेखों के साथ आवेदन का सत्यापन करेगा।

(6) सत्यापन अधिकारी अन्य जारी करने वाले प्राधिकारी से प्राप्त विशिष्टियों का भी पूर्व कार्यालय में उपलब्ध सीडीसी अभिलेखों के साथ सत्यापन करेगा और तत्पश्चात् आवेदक को नियत तारीख से काफी पहले संसूचित कर देगा।

(7) बॉयोमेट्रिक डाटा के संग्रहण के पश्चात् एसआईडी दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा मुद्रित और जारी किया जाएगा और आवेदक को दस्ती या डाक द्वारा परिदत्त किया जाएगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी, एसआईडी के लिए ई-मॉडयूल में आवेदन और उसके साथ संलग्न तत्समान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की रीति में किसी उपांतरण को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

5. **नाविक पहचान दस्तावेज के लिए पात्रता**—कोई भारतीय राष्ट्रीय जिसके पास विधिमान्य चालू भारतीय सेवान्मुक्ति प्रमाणपत्र है, एसआईडी के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।

6. **फीस**—(1) एसआईडी, अभिप्राप्त करने के लिए या इसके नवीकरण के लिए तीन सौ रुपये फीस होगी जो अप्रतिदेय, जारी करने वाले प्राधिकारी को संदेय होगी।

(2) फीस का संदाय, जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा, जो पंद्रह सौ रुपये से अधिक नहीं होगी।

(3) फीस का संदाय, अनुसूचित बैंक को आहरित मांगदेय ड्राफ्ट या महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ई-पेमेंट द्वारा किया जाएगा।

7. **विधिमान्यता की अवधि**—प्रथम पांच वर्ष के पश्चात् नवीकरण के अध्यधीन रहते हुए, नाविक पहचान दस्तावेज की अधिकतम विधिमान्यता दस वर्ष की अवधि के लिए होगी।

8. नवीकरण--(1) यदि, इन नियमों के अधीन धारक की एसआईडी रद्द या वापस या निलंबित नहीं की गई है, तो इसके जारी होने के प्रथम पांच वर्ष के पश्चात् धारक के अनुरोध करने पर एसआईडी एक बार में अग्रिम दस वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी।

(2) कोई एसआईडी धारक, जो एसआईडी जारी करने के लिए उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता है, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-2 में जारी करने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(3) एसआईडी जारी करवाने के लिए आवेदन अपनी पसंद के जारी करने वाले प्राधिकारी को ऑनलाइन दिए गए एसआईडी ई-मॉड्यूल पर किया जाएगा। आवेदक अपनी पसंद की उपलब्ध तारीख और डाटा संग्रहण केन्द्र का चयन करेगा। आवेदन फीस का संदाय ई-पेमेंट गेटवे के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदक अपने आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा। आवेदक नियत तारीख और समय को अपने सेवोन्मुक्ति चालू प्रमाणपत्र (सीडीसी) और मूल पॉसपोर्ट के साथ डाटा संग्रहण केन्द्र पर उपस्थित होगा।

(4) सत्यापन अधिकारी, निर्गमन प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदक की नियत तारीख से पहले ही जारी करने वाले प्राधिकारी कार्यालय में उपलब्ध एसआईडी अभिलेखों के साथ सत्यापित करेगा। सत्यापन अधिकारी अन्य निर्गमन प्राधिकारी से प्राप्त विशिष्टियों को पूर्वकथित कार्यालय में उपलब्ध एसआईडी अभिलेखों के साथ सत्यापित करेगा और आवेदक को नियत तारीख से काफी पहले ही पश्चात् कथित कार्यालय को संसूचित कर देगा। बॉयोमेट्रिक डाटा के संग्रहण के पश्चात् एसआईडी दस्तावेज को निर्गमन प्राधिकारी द्वारा मुद्रित और जारी किया जाएगा। आवेदक को या तो दस्ती या डाक द्वारा परिदत्त किया जाएगा।

9. **किसी एसआईडी का रद्दकरण या निलंबन**—कोई व्यक्ति जिसका सेवोन्मुक्ति चालू प्रमाणपत्र या सक्षमता प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द हो गया है को एसआईडी जारी किया गया तो उसी अवधि के लिए सेवोन्मुक्ति चालू प्रमाणपत्र या सक्षमता प्रमाणपत्र में एसआईडी को भी निलंबित या रद्द किया जाएगा।

10. **एसआईडी की अनुलिपि का जारी किया जाना** – (1) जहां इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को जारी एसआईडी विरुपित, नष्ट, गुम, विकृत या फट जाती है, ऐसा नाविक निर्गमन प्राधिकारी को एसआईडी की अनुलिपि जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) एसआईडी की अनुलिपि को जारी करवाने के लिए आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-2 में किया जाएगा।

(3) एसआईडी के गुम होने की दशा में, आवेदक के लिए पुलिस स्टेशन में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (एफआईआर) रजिस्टर करना अपेक्षित होगा और उसका ब्यौरा एसआईडी की अनुलिपि के आवेदन में देना होगा।

(4) नाविक बॉयमेट्रिक पहचान दस्तावेज (एसआइडी) की अनुलिपि के लिए आवेदन प्रस्तुत करने और उसके जारी करने की रीति वह होगी जो नियम 8 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के अधीन विहित है।

प्ररूप-1

[नियम 4(1) देखें]

नाविक पहचान दस्तावेज (एसआईडी) के लिए आवेदन प्ररूप

1.	आवेदन सं.: (ऑनलाईन प्रणाली द्वारा उत्पन्न सं.)
2.	फीस का ब्यौरा :
3.	नाविक का भारतीय राष्ट्रीय डाटा बेस (आईएनडीओएस) सं. :
	जारी करने की तारीख :
4.	सेवोन्मुक्ति चालू प्रमाणपत्र (सीडीसी) सं. :
	जारी करने की तारीख :
	अवसान की तारीख :
	निर्गमन प्राधिकारी :
5.	नाम :
6.	पिता का नाम :
7.	लिंग :
8.	जन्म की तारीख :
9.	जन्म स्थान :
10;	राष्ट्रीयता :
11.	ई-मेल पता :
12.	मोबाईल सं. :
13.	लंबाई :
14.	पहचान चिन्ह (यदि कोई है) :
15.	पता :
	गली :
	गांव/डाकघर/तहसील :
	जिला :
	पिन कोड :
	दूरभाष सं. :
	नज़दीकी पुलिस थाना :
16.	क्या आपने एसआईडी के लिए पहले कभी आवेदन किया है :
17.	क्या आपको पहले किसी समय पर निम्नलिखित को अभिप्राप्त करने से विवर्जित किया गया है-- (क) सीडीसी : (ख) एसआईडी :

हस्ताक्षर : तारीख :

घोषणा

1. मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य और पूर्ण हैं और कुछ भी गुप्त और विकृत नहीं है ।
2. मैं प्रतिज्ञान और घोषणा भी करता हूं कि मुझे पहले नाविक पहचान दस्तावेज (एसआईडी) जारी नहीं किया गया है और मैंने भारत में किसी अन्य निर्गमन प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।
3. मुझे ज्ञात है कि यदि किसी भी समय पर दी गई कोई जानकारी गुप्त रखी गई या विकृत पाई जाती है और निर्गमन प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि मैंने असत्य और गलत सूचना प्रस्तुत करके एसआईडी अभिप्राप्त की है, मेरी एसआईडी यथा संशोधित पोत परिवहन (बॉयमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज) नियम, 2015 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तत्काल रद्द या निलंबित हो जाएगी ।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख : आवेदक का नाम

प्ररूप-2

[नियम 8(2) और नियम 10(2) देखें]

नवीकरण या नाविक पहचान दस्तावेज (एसआईडी) की अनुलिपि के लिए आवेदन प्ररूप

1.	आवेदन सं. : (ऑनलाईन प्रणाली द्वारा उत्पन्न सं.)
2.	आवेदन :
	(क) एसआईडी के नवीकरण के लिए :
	(ख) एसआईडी की अनुलिपि के लिए :
3.	फीस का ब्यौरा :
4.	नाविक का भारतीय राष्ट्रीय डाटा बेस (आईएनडीओएस) सं. :
	जारी करने की तारीख :
5.	एसआईडी की सं. :
	जारी करने की तारीख :
	अवसान की तारीख :
	निर्गमन प्राधिकारी :
6.	नाम :
7.	क्या आप पहले किसी समय पर निम्नलिखित को अभिप्राप्त करने से विवर्जित किया गया है--
	(क) सीडीसी :
	(ख) एसआईडी :
8.	क्या आपका एसआईडी इन नियमों के अधीन रद्द या वापिस या निलंबित किया गया है :
9.	क्या आपका एसआईडी :
	(क) विरुपित :
	(ख) नष्ट :
	(ग) गुम :
	(घ) विकृत :
	(ङ) फटा :
	हुआ है।
10.	एसआईडी गुम होने की दशा में :
	(क) एफआईआर सं. :
	(ख) तारीख :
	(ग) पुलिस स्टेशन :

हस्ताक्षर : तारीख :

घोषणा

1. मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य और पूर्ण हैं और कुछ भी गुप्त और विकृत नहीं है ।
2. मैं प्रतिज्ञान और घोषणा भी करता हूं कि भारत में एसआईडी के लिए किसी अन्य निर्गमन प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।
3. मुझे ज्ञात है कि यदि किसी भी समय पर दी गई कोई जानकारी गुप्त रखी गई या विकृत पाई जाती है और निर्गमन प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि मैंने असत्य और गलत सूचना प्रस्तुत करके एसआईडी अभिप्राप्त की है, मेरी एसआईडी यथा संशोधित पोत परिवहन (बॉयमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज) नियम, 2016 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तत्काल रद्द या निलंबित हो जाएगी ।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख : आवेदक का नाम

[फा. सं. ए-12018/23/2012-एमए]
आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2016

G.S.R. 415(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 99A and section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 and in accordance with the Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185) regulating the method of issuance of the Seafarers' Bio-metric Identity Document, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Seafarer's Bio-metric Identity Document) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to Indian citizens, who fulfill the eligibility conditions specified under rule 5.

3. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) **"Act"** means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) **"competent authority"** means the Director General of Shipping;

(c) **"Convention"** means International Labour Organisation document No. 185 on Seafarer's Identity Documents Convention (Revised), 2003;

(d) **"Form"** means the form appended to these rules;

(e) **"issuing authority"** means Shipping Master or such other officers as may be nominated by the competent authority;

(f) **"SID"** means a Seafarer's Identity Document issued under these rules.

(2) Words and expressions defined in the Act and used but not defined in these rules shall have the same meanings assigned to them respectively in the Act.

4. Application for issuance for SID. – (1) A citizen of India, who fulfils the eligibility conditions specified in rule 5 for the issuance of SID, shall apply in the Form-1 appended to these rules to the issuing authority.

(2) Application for issuance of SID shall be made online in the given SID e-module to the issuing authority of his choice and applicant shall select available dates and data collection center of his choice.

(3) The payment of application fee shall be made online through the e-payment gateway and the applicant shall submit his application online.

(4) The applicant will appear on the appointed date and time at the data collection center, along with his Continuous Discharge Certificate (CDC) and Passport in original.

(5) The verification officer in the office of the issuing authority shall verify the application with the CDC records available in the office of issuing authority well in advance of the appointment date of the applicant.

(6) The verification officer shall also verify the particulars received from other issuing authority with CDC records available in the former's office and communicate to the latter well in advance of the assigned date of the applicant.

(7) After collection of the biometric data, the SID document shall be printed and issued by the issuing authority and it shall be delivered to the applicant either by hand or through post.

(8) The competent authority may specify any modification in the manner of submission of application and accompanying documents corresponding to the e-module for the SID.

5. **Eligibility for Seafarer Identity Document.** – An Indian national who is in possession of a valid Indian Continuous Discharge Certificate is eligible to apply for SID.

6. **Fee.**- (1) The fee for obtaining the SID or its renewal shall be three hundred rupees, which shall be non-refundable, payable to the issuing authority.

(2) The payment of fee may be revised by the competent authority, which shall not exceed one thousand and five hundred rupees.

(3) The payment of fee shall be made by demand draft drawn on a scheduled bank or e-payment as may be specified by the Director-General.

7. **Period of validity.**- The maximum validity of a seafarers' identity document shall be for a period of ten years, subject to renewal after the first five years.

8. **Renewal.** – (1) SID may be renewed after first five years of its issuance on a request from the holder for a further period up to ten years at a time, if the holder's SID has not been cancelled or withdrawn or suspended under these rules.

(2) An SID holder, who fulfils the eligibility conditions specified in sub-rule (1) for the issue of an SID, may apply in the Form-2 appended to these rules to the issuing authority.

(3) Application for issuance of SID shall be made online in the given SID e-module to the issuing authority of his choice, Applicant shall select available dates and data collection center of his choice. The payment of application fee shall be made online through the e-payment gateway. The applicant shall submit his application online. The applicant will appear on the appointed date and time at the data collection center, along with his Continuous Discharge Certificate (CDC) and passport in original.

(4) The verification officer in the office of the issuing authority shall verify the application with the SID records available in the office of issuing authority well in advance of the assigned date of the applicant. The verification officer shall also verify the particulars received from other issuing authority with the SID records available in the former's office and communicate to the latter well in advance of the assigned date of the applicant. After collection of the biometric data, the SID document shall be printed and issued by the issuing authority. It shall be delivered to the applicant either by hand or through post.

9. **Cancellation or suspension of an SID.** - SID issued to any person whose Continuous Discharge Certificate or Certificate of Competency is suspended or cancelled shall also be suspended for the same period or cancelled as that of Continuous Discharge Certificate or Certificate of Competency.

10. **Issuance of duplicate SID.** – (1) Where SID of a person issued under these rules, is defaced, destroyed, lost, mutilated or torn, such seafarer may apply to the issuing authority for the issuance of duplicate SID.

(2) An application for the issue of a duplicate SID shall be made in the Form-2 appended to these rules.

(3) In case where SID is lost, the applicant will require registering a First Information Report (FIR) in the police station and furnishing those details in the application for duplicate SID.

(4) The manner of submission of application for duplicate Seafarer Bio-metric Identity Document (SID) and its issuance shall be as prescribed under sub-rules (3) and (4) of rule 8.

FORM-1
[see rule 4 (1)]

Application Form for Seafarers Identity Document (SID)

1. Application No. : (online system generated No.)
2. Fee details :
3. Indian National Data Base of Seafarer (INDOS) No. :
   Date of issue :
4. Continuous Discharge Certificate (CDC) No. :
   Date of issue:
   Date of expiry:
   Issuing authority:
5. Name :
6. Father's name :
7. Sex :
8. Date of birth :
9. Place of birth :
10. Nationality :
11. E-mail address :
12. Mobile No.
13. Height :
14. Identification mark (if any) :
15. Address:
    Street :
    Village/Post/Tehsil :
    District :
    Pin code :
    Phone No. :
    Nearest Police Station :
16. Have you ever applied for SID before :
17. Have you ever been at any time debarred for obtaining
    (a) CDC :
    (b) SID :

Signature ; Date:

Declaration

1. I hereby declare that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or distorted.
2. I also affirm and declare that I have not previously been issued with Seafarers Identity Document (SID) and I have not submitted an application for SID to any other issuing authority in India.
3. I am aware that if any time I am found to have concealed or distorted any material information and the issuing authority has reason to believe that I have obtained the SID by presenting false or erroneous information, my SID will be cancelled or suspended forthwith as per the provisions contained in the Merchant Shipping (Biometric Seafarers Identity Document) Rules, 2016 as amended.

Place: Signature of the applicant
Date: Name of the applicant

FORM-2

[see rule 8 (2) and rule 10 (2)]

Application Form for issue of renewal or duplicate Seafarers Identity Document (SID)

1. Application No. : (online system generated No.)
2. Application for:
   (a) Renewal of SID:
   (b) Duplicate SID:
3. Fee details :
4. Indian National Data Base Of Seafarer (INDOS) No. :
   Date of issue :
5. SID No. :
   Date of issue:
   Date of expiry:
   Issuing authority:
6. Name :
7. Have you ever been at any time debarred for obtaining-
   (a) CDC:
   (b) SID:
8. Has your SID been cancelled or withdrawn or suspended under these rules :
9. Whether your SID is :
   (a) defaced:
   (b) destroyed:
   (c) lost:
   (d) mutilated:
   (e) torn:
10. In case of SID lost:
    (a) FIR No. :
    (b) Date :
    (c) Police Station:

Signature ; Date:

Declaration

1. I hereby declare that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or distorted.
2. I also affirm and declare that I have not submitted an application for SID to any other issuing authority in India.
3. I am aware that if any time I am found to have concealed or distorted any material information and the issuing authority has reason to believe that I have obtained the SID by presenting false or erroneous information, my SID will be cancelled or suspended forthwith as per the provisions contained in the Merchant Shipping (Biometric Seafarers Identity Document) Rules, 2016 as amended.

Place: Signature of the applicant

Date: Name of the applicant

[F. No. A-12018/23/2012-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Additional Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.